न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, सीकर

सेशन प्रकरण सीआईएस नंबर– 173/2022
CNR No. RJSK01 002329 2022
सरकार बनाम फूलचन्द उर्फ फूलाराम
1

05.08.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित। इस आदेश द्वारा अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. (धारा 348 बीएनएसएस) वास्ते आवेदन में वर्णित गवाहान को साक्ष्य सूची में जोड़कर साक्ष्य हेतु तलब करने, दिनांक 28.07.2026 का निस्तारण किया जा रहा है। जिसका लिखित जवाब अधिवक्ता अभियुक्त ने आज पेश किया। बहस आवेदन उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किए हैं कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य अभियोजन में नियत है। उक्त प्रकरण में गवाह सूची में सहवन से गवाह चन्द्रमोहन माथुर, प्रशासनिक अधिकारी, जो कि अभियोजन स्वीकृति का महत्वपूर्ण गवाह है, सत्यनारायण एवं अजीतपाल, जो कि तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी हैं, जिनके नाम जोड़ने से रह गये थे। उक्त गवाहान प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण गवाह है, जिनकी साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना अत्यावश्यक है। अंत में उक्त गवाहान को साक्ष्य सूची में रखकर उन्हें साक्ष्य हेतु तलब किए जाने का निवेदन किया। जवाब में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में वर्णित तथ्यों को	

दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किए हैं कि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त आवेदन बिना किसी उचित आधार के प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाहान का गवाह सूची एवं चार्जशीट में कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत सेशन प्रकरण संख्या 173/2022, एफआईआर नंबर 128/2022 पुलिस थाना सदर सीकर में परिवादी द्वारा दर्ज करवायी गई रिपोर्ट पर अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.दं.सं. एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में प्रकरण दर्ज हुआ है।

प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 104/2022 दिनांकित 11.07.2022 के आधार पर प्रकरण के अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 302, 201 के तहत आरोप प्रमाणित मानते हुए और धारा 3/25 आयुध अधिनियम में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त न होना कथित करते हुए धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध की हद तक अनुसंधान धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत लम्बित रखा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 28.06.2024 को अपर लोक अभियोजक द्वारा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति पेश की गई, जिसकी नकल अभियुक्त के अधिवक्ता को दिलाई गई। अभियुक्त फूलचन्द उर्फ

फुलाराम के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 विकल्प में धारा 304, धारा 201 एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया जाकर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत की गई। दिनांक 31.07.2026 को न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य सूची में वर्णित अंतिम गवाह हेमराज पी.डब्ल्यू 26 के बयान लेखबद्ध किए गए और पत्रावली बयान मुलजिम में नियत की गई। इसी दिनांक को अपर लोक अभियोजक द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तीन गवाह चन्द्रमोहन माथुर, प्रशासनिक अधिकारी, सत्यनारायण एवं अजीतपाल को अभियोजन साक्ष्य सूची में जोड़कर उन्हें परीक्षित करवाये जाने का निवेदन किया।

इस विषय बिन्दु पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में यह वर्णित किया गया है कि –

311– आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति– न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को **मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।**

हस्तगत प्रकरण में आरोप पत्र के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य सूची में उक्त तीनों गवाहान का नाम वर्णित नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला

	मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा अभियुक्त फूलचन्द उर्फ फुलाराम के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति दिनांक 03.10.2023 को जारी की गई, जो अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए जाते समय भी अभियोजन पक्ष ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में गवाह चन्द्रमोहन माथुर, प्रशासनिक अधिकारी का नाम अभियोजन साक्ष्य सूची में रखें और अभियोजन साक्ष्य हेतु उसे तलब किए जाने का आवेदन विचारण की स्टेज पर पेश करें। इसके अतिरिक्त अन्य दो गवाह सत्यनारायण एवं अजीतपाल का अनुसंधान अधिकारी होना बताया गया है, जबकि पूर्व में पेश अभियोजन साक्ष्य सूची में इन दोनों गवाहान का नाम नहीं है और अनुसंधान के दौरान मूर्तिब की गई कौन सी फर्द को इन दोनों गवाहान द्वारा तैयार किया गया, ऐसा भी कोई उल्लेखन अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में माननीय न्यायिक दृष्टांत **स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम पन्ना अहमद, एआईआर 2026 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 907** में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिक प्रतिपादित की गई है कि धारा311 द.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र के तहत अभियोजन/ प्रतिरक्षी पक्ष को अपने स्तर पर रही कमी (Lecunna) को पूरा करने की इजाजत न्यायालय द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। उक्तानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र एवं समग्र सेशन पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित गवाह संख्या 2 सत्यनारायण एवं गवाह संख्या 3 अजीतपाल का नाम पूर्व में साक्ष्य सूची में वर्णित नहीं करना अभियोजन पक्ष की	

एक गंभीर त्रुटि है, जिसे प्रकरण की इस अंतिम स्टेज पर पूरा किये जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

जहां तक जारी अभियोजन स्वीकृति के संदर्भ में गवाह चन्द्रमोहन माथुर, प्रशासनिक अधिकारी को साक्ष्य हेतु तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाए, तो चूंकि अभियोजन स्वीकृति बाद में पत्रावली पर पेश की गई है, जिसे प्रदर्शित करवाया जाना आवश्यक है, अन्यथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के संदर्भ में प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण नहीं हो पाएगा। अतः **केवल गवाह चन्द्र मोहन माथुर को साक्ष्य हेतु तलब किए जाने की हद तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।** अपर लोक अभियोजक को यह हिदायत दी जाती है कि वे अपने स्तर पर आगामी पेशी पर गवाह संख्या 1 चन्द्रमोहन माथुर को अभियोजन साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित कर परीक्षित करवाये। इस हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। इस दिनांक को गवाह के उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुलजिम लिये जाएंगे। हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय का लक्षित प्रकरण है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणों में अनावश्यक स्थगन नहीं दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्तानुसार अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 14.08.2026 को पेश हो।

(डॉ. वीनू नागपाल)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, सीकर (राज.)

MAHENDRA KUMAR SHARMA
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by MAHENDRA KUMAR SHARMA
Date: 2026.08.05 16:21:31 +0530